

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 797 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 09 / 09 / 2014)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. जितेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र राजेन्द्र श्रीवास्तव, उम्र 30 वर्ष।
निवासी : मोती झील चम्बल कॉलौनी ग्वालियर, जिला—ग्वालियर (म.प्र.)।
..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 15 / 02 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी जितेन्द्र पर धारा 304 “ए” “03 काउण्ट” भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 06 / 05 / 2014 को रात्रि लगभग 12:10 बजे ए.बी.एन.ट्यूब फैक्ट्री के सामने भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 0318 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक इरफान खॉ, सावेद खॉ एवं मुनीर खॉ की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 06 / 05 / 2014 को रात्रि लगभग 12:10 बजे ए.बी.एन.ट्यूब फैक्ट्री के सामने भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग मालनपुर में, वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 0318 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर अचानक ब्रेक लगा देने से इरफान की मार्शल क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 4373 टकरा जाने से उसमें सवार इरफान खॉ, साविद खॉ एवं मुनीर खॉ की मृत्यु उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अकबर खॉ द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर में की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 0318 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 97 / 2014 अन्तर्गत धारा 304 ए पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आरोपी जितेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 0318 मय दस्तावेज छायाप्रतियाँ सहित जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी मन्नू खॉ का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया था। फरियादी अकबर खॉ एवं साक्षी निसार खॉ के कथन लेखबद्ध किये गये तथा

विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 304 ए "03 काउण्ट" भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी जितेन्द्र ने दिनांक :- 06/05/2014 को रात्रि लगभग 12:10 बजे ए.बी.एन.ट्यूब फैक्ट्री के सामने भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक इरफान खॉ, सावेद खॉ एवं मुनीर खॉ की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी अकबर खॉ अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 05/06/2014 की रात्रि लगभग बारह सवा बारह बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह और उसका भाई निसार भिण्ड से अपनी गाड़ी बुलेरो क्रमांक एम.पी.07/एच.ए./4456 से ग्वालियर आ रहे थे। उसकी गाड़ी के आगे एक लोडिंग गाड़ी हरे रंग लीडेंड चल रही थी, उसको साबिर चला रहा था, उसके साथ में दो लोग और बैठे थे, उनका नाम इरफान और एक अन्य व्यक्ति बैठा था। साक्षी आगे कहता है कि उसके आगे एक डम्पर भी चल रहा था, उसका नम्बर एम.पी.07/जी.ए./0318 था, जो तेजी से चल रहा था। उक्त डम्पर ने अपनी गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाया और एकदम बैक किया, तो उसके पीछे चल रही लीडेंड लोडिंग गाड़ी डम्पर के पीछे घुस गई। साक्षी आगे कहता है कि डम्पर चालक को उसने देख लिया था, वह भाग गया था। न्यायालय में उपस्थित आरोपी जितेन्द्र ही दुर्घटना के समय उक्त डम्पर को चला रहा था, फिर उसने लीडेंड गाड़ी को देखा तो उसमें तीनों लोग दब गये थे, जो मर चुके थे। इस वावत् उसके द्वारा थाना मालनपुर पर दी गई अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका उसके समक्ष प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

मृतक साबिर, इरफान एवं मुनीर की मृत्यु जांच में उपस्थित होने की सूचना पत्र क्रमशः प्र.पी.04 लगायत 06 है, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। लाश पंचायतनामा इरफान, साबिर एवं मुनीर का क्रमशः प्र.पी.07 लगायत प्र.पी.09 है, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। पुलिस ने मृतकों के शव उसे सुपुर्द किये थे, सुपुर्दगी रसीद प्र.पी.10 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. उल्लेखनीय है कि फरियादी अकबर खॉ अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 के चालक आरोपी जितेन्द्र को मौके पर देख लिया था, जो कि मौके से भाग गया था। परन्तु प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में अकबर अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि उसने आरोपी जितेन्द्र को भागते हुये देखा और उसे पहचान लिया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी जितेन्द्र को उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 18/06/2015 से पहले कभी नहीं देखा। उल्लेखनीय यह भी है कि दुर्घटना के लगभग 20 मिनट पश्चात् फरियादी अकबर खॉ अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में और अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र का नाम लेखबद्ध नहीं कराया है। ऐसी दशा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण में आरोपी जितेन्द्र को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में पहचानने संबंधी अकबर अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

09. फरियादी निसार खॉ अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 05/06/2014 की रात्रि लगभग बारह सवा बारह बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह भिण्ड से अपनी मार्शल क्रमांक 4456 से ग्वालियर आ रहे थे। उसकी गाड़ी के आगे एक लोडिंग गाड़ी हरे रंग लीडेंड चल रही थी, उसको साबिर चला रहा था, उसके साथ में दो लोग बैठे थे। साक्षी आगे कहता है कि उनके आगे एक डम्पर चल रहा था, उसका नम्बर एम.पी.07/0318 था। उक्त डम्पर ने तेजी व लापरवाही से बैक करते हुये लोडिंग ऑटो लीडेंड में टक्कर मार दी, तब उसने लीडेंड गाड़ी को देखा, जो उसके मौहल्ले की थी, जिसमें बैठे तीनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी जितेन्द्र ही दुर्घटना के समय उक्त डम्पर को चला रहा था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में साक्षी निसार अ.सा.02 का यह कहना है कि उसने आरोपी डम्पर चालक को उसके न्यायालयीन

अभिसाक्ष्य दिनांक : 18/06/2015 से पहले कभी नहीं देखा। ऐसी दशा में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र को पहचानने संबंधी निसार अ.सा.02 का मुख्य परीक्षण कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में निसार अ.सा.02 ने यह भी दर्शित किया है कि उसने पुलिस को कथन प्र.डी.01 देते समय यह भी बता दिया था कि उसने चालक को भागते हुये देख लिया था और यह भी बता दिया था कि उसे सामने आने पर पहचान लूंगा, अगर उक्त बातें उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि निसार अ.सा.02 के पुलिस कथन प्र.डी.01 में उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि निसार अ.सा.02 के पुलिस कथन प्र.डी.01 में आरोपित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र की पहचान संबंधी कोई तथ्य उल्लेखित नहीं हैं। ऐसी दशा में मात्र न्यायालय में उपस्थित होकर उपस्थित आरोपी को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में साक्षी निसार अ.सा.02 द्वारा पहचान लेना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

11. अभियोजन साक्षी मन्नू खॉ अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसके उक्त डम्पर को पकड़ लिया था, जिसे उसके द्वारा न्यायालय से सुपुर्दगी पर लिया था, तभी पुलिस ने उसके एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.13 का दस्तावेज दिखाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी मन्नू खॉ अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह अपनी गाड़ी को आरोपी जितेन्द्र से चलवाता था एवं दिनांक : 06/05/2014 को चालक जितेन्द्र उक्त डम्पर रात्रि लगभग 12:00 बजे ए.व्ही.एन. ट्यूब फ़ैक्ट्री के सामने उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर इरफान, सावेद एवं मुनीर खॉ में टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उक्त जानकारी उसे चालक जितेन्द्र ने दी थी एवं उक्त जानकारी के आधार पर उसने पुलिस को प्रमाणीकरण दिया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ। इस प्रकार साक्षी मन्नू खॉ अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र सिंह की पहचान के तथ्य को दर्शित करते हो।

12. अभियोजन साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 06/05/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को उसके द्वारा अपराध क्रमांक 97/2014 अन्तर्गत धारा 304

ए भा.द.सं. डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 के चालक के विरुद्ध फरियादी अकबर खॉ द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर उसके द्वारा उसके बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, उसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक गजेन्द्र सिंह अ.सा.03 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित नहीं किया है कि फरियादी अकबर खॉ अ.सा.01 द्वारा उसे दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जितेन्द्र का नाम या उक्त चालक की कोई पहचान बताई थी।

13. अभियोजन साक्षी राधेश्याम जाट अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/09/2014 को थाना मालनपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 97/2014 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को सफीना फार्म प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06, मृतक साबिर, इरफान एवं मुनीर के बनाये थे, जिनके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् उसके द्वारा मृतक साबिर, इरफान एवं मुनीर के लाश पंचनामा प्र.पी.07 लगायत प्र.पी.09 बनाये थे, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् उसके द्वारा अकबर खॉ के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही मेरे द्वारा साक्षी निशार खॉ, अकबर खॉ के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 22/05/2014 को वाहन मालिक मुन्नू खॉ का जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रमाणीकरण प्र.पी.13 लेखबद्ध किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी जितेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी से एक डम्पर क्रमांक एम. पी.07/जी.ए./0318 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.12 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विवेचक राधेश्याम जाट अ. सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपित घटना डम्पर में पीछे से टक्कर लगने के कारण हुई थी। साक्षी निसार अ.सा.02 ने भी उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि दुर्घटनाग्रस्त हरे रंग के वाहन वालों को भी बैक होता हुआ डम्पर दिखाई दे रहा था और साक्षी का यह भी कहना है कि उसने स्वयं ने भी एकसीडेंट होते हुये देखकर अपनी गाड़ी को नियंत्रित कर लिया था। ऐसी दशा में बैक हुये वाहन डम्पर में उसे बैक होते हुये देखकर भी टकरा जाना स्वयं दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक की उपेक्षा को दर्शित करता है, ना कि उक्त बैक होते हुये डम्पर के चालक की उपेक्षा को।

15. डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.07 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक इरफान खॉ, सावेद खॉ एवं मुनीर खॉ के शव परीक्षण करने वाले डॉ.राजेन्द्र टरेटिया शव परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए डॉ.राजेन्द्र टरेटिया की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.14 लगायत प्र.पी.16 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

16. साक्षी राजेन्द्र अ.सा.04 एवं प्रेम सिंह अ.सा.06 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी जितेन्द्र ने दिनांक :- 06/05/2014 को रात्रि लगभग 12:10 बजे ए.बी.एन.ट्यूब फैक्ट्री के सामने भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक इरफान खॉ, सावेद खॉ एवं मुनीर खॉ की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 304 ए "03 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी जितेन्द्र को भा.द.सं. की धारा 304 ए "03 काउण्ट" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./0318 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी मन्नू खॉ के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद